न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य,
आर.ए.एस

निगरानी संख्या 02/2017

श्री इन्द्राज पुत्र श्री कानाराम जाति जाट हाल निवासी ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।

—निगरानीकार—

बनाम

1. श्री नरोतम कालेर पुत्र श्री कमलसिंह कालेर जाति जाट निवासी चौराड़ी तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।
2. ग्राम पंचायत ढिगाल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.2009 सकल्पं संख्या 03 पट्टा बहक नरोतम कालेर ग्राम पंचायत ढिगाल।

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट................................ निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजयपाल सिंह एडवोकेट...........................गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक :

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार के पक्ष में ग्राम पंचायत ढिगाल ने दिनाकं 21.12.2009 को पट्टा सनद जारी किया गया वो नियम विरूद्ध होने से काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत ढिगाल ने राजकीय भूमि ख.न. 710 में पट्टा जारी किया है। जबकि राजकीय भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कभी भी अधिकार नहीं रहा। गैर निगरानीकार नं. 1 ग्राम पंचायत ढिगाल का रहने वाला व्यक्ति नहीं है तथा ना ही ढिगाल के आस पास गांव का है गैर कानुनी रूप से फायदा पहुंचाने के लिये राजकीय भूमि में पट्टा दिया गया है। दिनाक 21.12.2009 को दो पट्टे जारी किये गये दोनों ही राजकीय भूमि में है। उक्त पट्टेधारियों द्वारा जहां कब्जा कर रखा है उस जगह की जांच हल्का पटवारी द्वारा दिनाकं 10.03.2016 को की गई जिसके मुताबिक उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं होकर गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि है। गैर निगरानीकार ने 400 वर्ग गज का अनाधिकृत पट्टा जारी करवा रखा है। नियम 158 के तहत केवल आबादी भूमि का 300 वर्ग गज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

तक का पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ढिगाल ने नियम विरूद्व राजकीय भूमि का पट्टा जारी किया है। जो काबिले निरस्त है। गैर कानुनी रूप से जारी किये गये पट्टो के आधार पर सन्तोष देवी ने ख.न. 710 पर कब्जा कर रखा है। ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि में पट्टा जारी करने के अधिकार कभी भी नहीं थे। निगरानी श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। निगरानी अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिये ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध यह निगरानी अलावा दिगर वजूहात तथ्यों के आधार पर कर समुचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गैर निगरानीकार के पक्ष में ग्राम पंचायत ढिगाल ने दिनाकं 21.12.2009 को पट्टा सनद जारी किया गया वो नियम विरूद्व होने से काबिले निरस्त है। ग्राम पंचायत ढिगाल ने राजकीय भूमि ख.न. 710 में पट्टा जारी किया है। जबकि राजकीय भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कभी भी अधिकार नहीं रहा। गैर निगरानीकार नं. 1 ग्राम पंचायत ढिगाल का रहने वाला व्यक्ति नहीं है तथा ना ही ढिगाल के आस पास गांव का है गैर कानुनी रूप से फायदा पहुंचाने के लिये राजकीय भूमि में पट्टा दिया गया है। दिनाक 21.12.2009 को दो पट्टे जारी किये गये दोनों ही राजकीय भूमि में है। उक्त पट्टेधारियों द्वारा जहां कब्जा कर रखा है उस जगह की जांच हल्का पटवारी द्वारा दिनाकं 10.03.2016 को की गई जिसके मुताबिक उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं होकर गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि है। गैर निगरानीकार ने 400 वर्ग गज का अनाधिकृत पट्टा जारी करवा रखा है। नियम 158 के तहत केवल आबादी भूमि का 300 वर्ग गज तक का पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ढिगाल ने नियम विरूद्व राजकीय भूमि का पट्टा जारी किया है। जो काबिले निरस्त है। गैर कानुनी रूप से जारी किये गये पट्टो के आधार पर सन्तोष देवी ने ख.न. 710 पर कब्जा कर रखा है। ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि में पट्टा जारी करने के अधिकार कभी भी नहीं थे। निगरानी श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। निगरानी अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिये ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध यह निगरानी स्वीकार की जाकर सकल्पं संख्या 3 पट्टा दिनांक 21.12.2009 बहक नरोतम कालेर खारीज किया जाना न्यायोचित है।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 2 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत ढिगाल तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 नोटिस उपरान्त न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की है। पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर बगैर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा जारी पट्टे को नियमानुसार नहीं बताया है। इस संबंध में रिकार्ड अदालत मातहत का अवलोकन किया, जिससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रकिया के अनुसार पट्टा जारी नही किया गया है। जिसमें कई प्रकार की अनियमितता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि उपरोक्त द्वारा जोहड़ की भूमि पर पट्टा 400 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का जारी किया गया तथा ब्लॉक विकास अधिकारी नवलगढ की रिपोर्ट से भी साबित होता है कि ग्राम विकास अधिकारी ढिगाल द्वारा अपने क्षैत्राधिकर से बाहर जाकर अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है। अत पत्रावली पचांयतीराज अधिनियम 1994 के विरूध होने के कारण ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जाता है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णया दिनांक 21.12.2009 सकल्पं संख्या 03 पट्टा द्वारा ग्राम पंचायत ढिगाल द्वारा जारी पट्टा श्री नरोतम कालेर पुत्र श्री कमलसिंह कालेर को खारिज किया जाता हैं। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत ढिगाल को फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Scanned with CamScanner